



क्रमांक / परिषद् / दूरस्थ शिक्षा / 1663

रायपुर, दिनांक २९/५/२०२२

प्रति,

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र प्रभारी  
दूरस्थ शिक्षा केन्द्र  
(SCERT-NIOS-DE.LE.D)

विषय:- दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (SCERT-NIOS-DE.LE.D) के संचालन हेतु खोले गये पृथक बैंक खाते को बंद करने बाबत।

संदर्भ:- 1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. D.O.No. 11-15/2017-EE.10 Dated 11th October, 2017  
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पत्र क्रमांक / परिषद् / दूरस्थ शिक्षा / 5838 रायपुर दिनांक 15.12.2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों का डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु आपकी संस्था को दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (SCERT-NIOS-D.El.Ed.) बनाया गया था। इसके सुचारू संचालन हेतु पृथक बैंक खाता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पत्र क्रमांक / परिषद् / दूरस्थ शिक्षा / 5838 रायपुर दिनांक 15.12.2017 के अनुसार खोले गये थे।

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो चुका है एवं मानदेय की अंतिम किश्त की राशि जारी की जा चुकी है अतः मानदेय की राशि का नियमानुसार वितरण कर दूरस्थ शिक्षा हेतु खोले गये बैंक खाते को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।

(एस. एस. कुरुक्षंशी )  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़

पृ. क्र./परिषद्/दूरस्थ शिक्षा/1664

रायपुर, दिनांक २९/५/२०२२

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, रायपुर।
4. प्राचार्य डाइट ..... के समन्वयक हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)



Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: [www.scert.cg.gov.in](http://www.scert.cg.gov.in) Email:scertcg@gmail.com

क्रमांक /परिषद्/ दूरस्थ शिक्षा / ५८३७

रायपुर, दिनांक १५.१२.२०१७

प्रति,

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र प्रभारी

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

(SCERT-NIOS-DE.LE.D)

**विषय:**—दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (SCERT-NIOS-DE.LE.D) के संचालन हेतु पृथक बैंक खाता खोलने विषयक।

**संदर्भ:**—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. D.O.No. 11-15/2017-EE.10

Dated 11th October, 2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों का डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का संचालन हेतु आपकी संस्था को दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (SCERT-NIOS-D.El.Ed.) बनाया गया है। इसके सुचारू संचालन हेतु पृथक बैंक खाते की आवश्यकता होगी।

बैंक खाता खोलकर उसकी छायाप्रति/स्केन कॉपी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को उपलब्ध करावें जिससे राशि अंतरित की जा सके एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

बैंक खाते का संचालन दूरस्थ शिक्षा केन्द्र के प्रभारी एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र समन्वयक (वरिष्ठ स्रोत व्यक्ति) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

इस खाते के वाउचर एवं केश बुक का संधारण, वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाये, जिसका वित्तीय वर्ष के अंत में ऑडिट कराया जायेगा।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक १५.१२.२०१७

पृ. क्र. /परिषद्/ दूरस्थ शिक्षा / ५८३७

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, रायपुर।
4. प्राचार्य डाइट ..... के समन्वयक हेतु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी ..... को मॉनीटरिंग हेतु।

( )  
संचालक